मत्स्य निदेशालय

झारखण्ड, रॉची

"इच्छा की अभिव्यक्ति"

मत्स्य विपणन योजना 2019–20 के स्वीकृत्यादेश संख्या 12 रा0 (विभाग) दिनांक 06.06.2019 के आलोक में ऑटो रिक्शा, ई–रिक्शा, स्टॉल, खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को दिये जाने वाले उपकरण एवं मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क की झारखण्ड राज्य के जिलों में आपूर्ति हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

आवेदनकर्ता को दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय बीड जमा करना होगा जो एक अलग लिफाफे बंद होगा। जिन आवेदनकर्ताओं का तकनीकी बीड कय समिति द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, उन्हीं आवेदनकर्ताओं के वित्तीय बीड विचारणीय होंगे । इच्छा की अभिव्यक्ति की शर्तें, मॉडल स्पेशिफिकेशन एवं वित्तीय बीड का प्रपत्र मत्स्य निदेशालय, डोरण्डा, रॉची–2 से मो0 5000.00 (पॉच हजार) रु0 मात्र के बैंक ड्राफ्ट जमा कर दिनांक 12.02.2020 से 17.02.2020 तक कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। इच्छा की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 19.02.2020 को 1.00 बजे अपराह्न तक होगी एवं उसी दिन 03.00 बजे अपराह्न में तकनीकी बीड कय समिति के समक्ष खोली जाएगी एवं वित्तीय बीड खोले जाने हेतु कय समिति द्वारा तिथि का निर्धारण किया जाएगा। बैंक ड्राफ्ट निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची (Director of Fisheries, Jharkhand) के पदनाम से एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डोरण्डा शाखा में भुगतेय होना चाहिए। इच्छा की अभिव्यक्ति की अन्य शर्तें कार्यालय के सूचना पट्ट एवं मत्स्य निदेशालय के वेवसाईट jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है। अधोहस्ताक्षरी को किसी भी इच्छा की अभिव्यक्ति को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं कय की बाध्यता नहीं रहेगी।

27/01/2020

निदेशक मत्स्य

सं0सं0–म0 नि0/V/कय/06/2019/ 132 **/मत्स्य/रॉची, दिनांक** 27-01-2020

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रॉची को मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

27/01/2020

निदेशक मत्स्य

इच्छा की अभिव्यक्ति की शर्तें

निविदा का तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग अलग मुहरबंद लिफाफे में बंद कर एक लिफाफे में समर्पित करना होगा। तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड के लिफाफों पर सुस्पष्ट रूप से मोटे अक्षरों में तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अंकित होना आवश्यक है । वित्तीय बीड हेतु पॉच प्रारूप निर्धारित हैं तथा आवेदनकर्ता को वित्तीय बीड अंतर्गत जो लागू हो उन प्रारूपों को भरकर जमा किया जाना है ।

क). तकनीकी बीड

1. आवेदनकर्ता/प्रतिष्ठान का जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र एवं वर्ष 2018–19 का जी0एस0टी0 क्लीयरेंस संलग्न करना होगा ।
2. आवेदनकर्ता को तकनीकी बीड के साथ प्रतिष्ठान के प्रोपराईटर का अथवा प्रतिष्ठान का पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
3. आवेदनकर्ता को वित्तीय वर्ष 2018–19 का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. फर्म का आई0एस0ओ0 प्रमाण–पत्र उपलब्ध हो तो संलग्न करना होगा।
5. एन0एस0ई0 प्रमाण–पत्र उपलब्ध हो तो संलग्न करना होगा।
6. संस्था/फर्म को काली सूची में न डाले जाने संबंधी स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदनकर्ता को अग्रधन के रुप में तकनीकी बीड के साथ निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची (Director of Fisheries, Jharkhand, Ranchi) के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक का मो0 20000.00 (बीस हजार) रु0 का बैंक ड्राफ्ट (भा0 स्टेट बैंक, डोरण्डा में भुगतेय) संलग्न करना अनिवार्य होगा । सफल आवेदनकर्ता के अग्रधन की राशि कार्यालय में सुरक्षित रख ली जाएगी एवं कार्य समाप्ति उपरांत बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। असफल आवेदनकर्ता के अग्रधन की राशि अगले कार्य दिवस में बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी ।

ख). वित्तीय बीड

1. वित्तीय बीड में दिये गये मॉडल/स्पेशीफिकेशन के लिए स्पष्ट दर देना होगा जो सभी कर सहित होना चाहिए अन्यथा कर अलग से अंकित करें।
2. दर स्वीकृत होने पर अपरिवर्तनशील होगा ।

ग). अन्य शर्तें :–

1. निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा/सामग्री आपूर्ति करना होगा । सामग्री की आपूर्ति हेतु मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
2. झारखण्ड, राज्य के सभी जिलों के जिला मत्स्य पदाधिकारी के मार्गदर्शन में क्रय समिति द्वारा स्वीकृत मॉडल/स्पेशीफिकेशन के तर्ज पर कार्य पूरा/सामग्री आपूर्ति करना होगा। जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर पर समिति द्वारा स्पेशिफिकेशन में आंशिक संशोधन किया जा सकता है जिसे आपूर्तिकर्ता को मान्य होगा ।

132
21.01.2021

3. जिन जिला मत्स्य पदाधिकारी के क्षेत्र में सामग्री का आपूर्ति होगा उन्हीं जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जाएगा एवं राशि का भुगतान किया जाएगा।
4. लागू टि0डी0एस0 अथवा जो नियम संगत कर हो, की कटौति के पश्चात् शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।
5. समिति को यह अधिकार होगा कि एल0–1 की दर में अन्य सफल आवेदनकर्ताओं के बीच कार्य/जिलों का बँटवारा कर दे।
6. क्रय समिति को वित्तीय बीड में अंकित दर अधिक महसूस होने पर वार्ता (Negotiate) कर दर प्राप्त करने का अधिकार क्रय समिति को होगा ।
7. सामानों की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यादेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जप्त कर ली जाएगी ।
8. क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा अगले इच्छा की अभिव्यक्ति/अगले आदेश तक के लिए मान्य होगा ।
9. यदि चयनित आवेदनकर्ता द्वारा सामग्रियों की आर्पूति में शिथिलता बरती जाती है तो समिति द्वारा निर्धारित दर पर अन्य सफल चयनित आवेदनकर्ता से कार्य लेने का अधिकार जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा।
10. मुहरबंद लिफाफा के उपर संबंधित विषय एवं फर्म का नाम पता मोबाईल नं0 के साथ साफ–साफ अंकित होना चाहिए।
11. स्वीकृत्यादेश संख्या–12 रा0 (विभाग) दिनांक 06–06–2019 में अंकित अनुमानित अनुदान से अधिक सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा एवं अंकित संख्या से अधिक का क्रय नहीं किया जायेगा।
12. ई–रिक्शा के दर निर्धारण में लोड कैरिंग कैपसिटी, बैटरी का प्रकार एवं उसका ए0एच0 क्षमता एवं प्रतिष्ठित कम्पनी, ई–रिक्शा की मोटर की क्षमता एवं टायर, सिंगल चार्ज रनींग किलोमीटर एवं ईकार्ट का डिजाईन एवं साज–सज्जा का विशेष ध्यान रखा जायेगा। आवेदनकर्त्ता उक्त बिन्दुओं को लिखित रूप में अलग से देंगे।
13. बिना कारण बताये इच्छा की अभिव्यक्ति को पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा ।
14. तकनीकी एवं वित्तीय बीड खोलने की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा ।
15. मत्स्य विपणन योजना की सामग्रियों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु मत्स्य निदेशालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

132
27-01-2020

27/01/2020

निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, राँची